न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 21/2017 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या 2017/00110

उनवान

धुन्धी पुत्र मूली जाति धाकड निवासी बझेरा कलॉ तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. रामस्वरूप
2. मान सिंह } पुत्रान फत्ते } जाति धाकड निवासी बझेरा कलॉ तहसील वैर जिला भरतपुर।
3. बच्चू सिंह

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर दिनांक 20.05.2017 उनवानी धुन्धी बनाम रामस्वरूप मु0न0 36/2016

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री लोकेन्द्र नाथ चतुर्वेदी उपस्थित।
2. वकील रैस्पोडेण्ट श्री अर्जुन सिह उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 29.05.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के आदेश दिनांक 20.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/वादी ने मूल दावे के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम बझेरा कलॉ तहसील वैर का अपीलाण्ट/वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में अपीलाण्ट/वादी की दो गैह की पाटोर पोश डली हुई है तथा शेष रकवा में आलू, सौंफ व अमरूद का बगीचा है, जो अपीलाण्ट/वादी ने स्वयं लगाया है। रैस्पो0/प्रतिवादी का उक्त आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। परन्तु रैस्पो0/प्रतिवादीगण ताकत के बल पर उक्त आराजी पर जबरन कब्जा व बाग को नष्ट करना चाहते हैं। यदि रैस्पो0/प्रतिवादीगण अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो, अपीलाण्ट/वादी को अपरमित क्षति होगी जिसकी भरपाई जरिये नगद नहीं हो पायेगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रैस्पो0/प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प में अपीलाधीन आदेश से खारिज कर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिले मंसूखी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को बिना सूचना दिये नियत पेशी दिनांक 22.05.17 से पूर्व ही दिनांक दिनांक 20.05.2017 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत में अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। राजस्व लोक अदालत की तारीख पेशी की जानकारी हेतु अपीलाण्ट को कोई सम्मन/नोटिस जारी नहीं किये गये। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाण्ट विवादित आराजी का अभिलिखित खातेदार काश्तकार काबिज है। रैस्पो0 का अपीलाण्ट की खातेदारी व कब्जे की आराजी से किसी किस्म का कोई संबंध नहीं है एवं ना ही रैस्पो0 को अपीलाण्ट द्वारा अपनी खातेदारी व कब्जे की आराजी काश्त पर दी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट के हक में प्राईमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन बखूबी प्रमाणित था। कथित दीवानी न्यायालय का आदेश अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में हावी नहीं होता है, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट ने अपना प्रकरण क्लीन हैण्ड से प्रस्तुत किया था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तथ्यों की ओर गौर ना करते हुए, अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो काबिले खारिजी है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0डी0 1988 पेज 641 एवं आर0आर0टी0 2016–17 (सप्ली0) पेज 566 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि अनुरूप सही है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट की ना तो पाटोर डली हुई हैं एवं ना ही कब्जा काश्त है। अपीलाण्ट के पिता मूलीराम द्वारा विवादित आराजी को अपीलाण्ट की सहमति से दिनांक 22.06.1984 को जरिये अनुबंध विक्रय कर कब्जा क्रेतागणो को संभला दिया और भविष्य में वयनामा तहरीर व तस्दीक करने का मुहायदा कर लिया। उक्त क्रेतागणों लालाराम व दयाचन्द द्वारा विक्रय अनुबंध दिनांक 22.07.1991 को विवादित आराजी को रैस्पो0 के लिए विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। इस प्रकार विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कोई संबंध सरोकार अपने पिता के जीवन काल से नहीं रहा है। विवादित आराजी पर अमरूदो के बाग, सरसो की फसल आदि रैस्पो0 की है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि रैस्पो0 की ओर से विवादित आराजी के संबंध में न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश वैर में प्रस्तुत दीवानी प्रकरण संख्या 09/2016 में पारित आदेश दिनांक 30.06.2016 से अपीलाण्ट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया हुआ है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। रैस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट के पिता द्वारा निष्पादित कथित विक्रय अनुबंध के आधार पर विवादित भूमि पर अधिकार प्रकट किया है। यह तथ्य साक्ष्यों की विस्तृत विवेचना उपरांत दावे में तय होगा। वैसे भी मात्र विक्रय अनुबंध से कोई अधिकार सृजित नहीं होते हैं वर्तमान में विवादित भूमि,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जमाबंदी संवत् 2071–74 के खाता संख्या 139 में अपीलाण्ट के नाम अंकित है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अन्तर्गत धारा 140 ''प्रविष्टियों के रूप में अनुमान'' के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रविष्टियों को तब तक सही माना जावेगा, जब तक कि उन्हें गलत साबित नहीं किया जाता। अतः प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति अपीलाण्ट के पक्ष में बनती है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर का आदेश दिनांक 20.05.2017 अपास्त किये जाकर ता फैसला वाद, रैस्पो0 को विवादित भूमि में अपीलाण्ट के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने की पाबन्दी आयद की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 29.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official